सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन 19 SEP 2016

विषय: अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/18/93-रा.भा.(नी-2) के तहत अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 30 अक्तूबर 2012 का अधिक्रमण करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर रुपये 5000/- कर दिया गया है।

2. विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 II/12013/1/89-रा0भा0 (क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

19 SEP 2016

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

दिनाक 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

पत्रिकाओं से संबंधित

(क) I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता - 20 अंक

II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 30 अंक

III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण - 20 अंक

IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर - 20 अंक

V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात - 10 अंक

VI. छपे लेखों की मौलिकता - 30 अंक

2. गृह-पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।

लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 20 अंक

II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता - 20 अंक

III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता - 15 अंक

IV. समसामयिक विषय - 20 अंक

V. विचारों की मौलिकता - 25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

....

दिनांक 5 दिसम्बर, 2016

संकल्प

सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में राजभाषा गौरव पुरस्कार एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत संकल्प संख्या 11034/48/2014 -रा.भा.(नीति) दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के क्रम में उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया गया है:

1.1 वर्तमान में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत तीन बड़े और तीन छोटे मंत्रालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों को बार-बार पुरस्कार मिलते हैं, जिसके कारण अन्य मंत्रालयों/विभागों को अवसर नहीं मिलता। अत: यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

1.2 राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं में छपे उत्कृष्ट लेख लिखने वाले लेखकों को नकद राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाएंगे।

1.3 क्षेत्रीय पुरस्कारों में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए दो श्रेणी हैं। (क) 50 कार्मिकों तक की संख्या वाले कार्यालय तथा (ख) 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालय। अब 10 कार्मिकों तक के कार्यालयों की एक अलग श्रेणी बनायी जाएगी और इस श्रेणी में केवल प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रत्येक भाषायी क्षेत्र में कुल सात पुरस्कार होंगे, अर्थात 1 से 10 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए एक पुरस्कार, 11 से 50 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार तथा 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों के नाम का विचार क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए नहीं किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार,मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)